संख्या-1187/2025/1590/22-2-2022-17(1179)/2022

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 25 सितम्बर, 2025

विषय:-केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आफताब पुत्र श्री इनायतुल्ला कुरैशी, निवासी जनपद-लखनऊ की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-14703/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-दिनांक 16.03.2022, दिनांक 09.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आफताब पुत्र श्री इनायतुल्ला कुरैशी जो 163/234 चिकमण्डी मौलवीगंज, थाना-अमीनाबाद, जनपद-लखनऊ का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 25.10.2012 को बकरे की खरीददारी को लेकर अकरम से कहा सुनी होने लगी। विवाद बढ़ जाने पर आफताब ने छूरी निकाल कर अकरम के सीने में भोंक दी, जिनकी अस्पताल में मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 219/2013 में भा०द०वि० की धारा-302 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण कक्ष सं०-02, लखनऊ के दण्डादेश दिनांक 13.04.2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय में लम्बित है। बंदी द्वारा दिनांक 05.12.2021 तक अपरिहार 09 वर्ष, 01 माह, 09 दिन तथा 09 वर्ष, 09 माह, 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 05.12.2021 तक 31 वर्ष, 10 माह, 12 दिन है।

3- सिद्धदोष बन्दी आफताब पुत्र श्री इनायतुल्ला कुरैशी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई प्रकरण पर विचार किया गया। बन्दी की उम्र 31 वर्ष तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आफताब (बन्दी संख्या-01/2017) पुत्र श्री इनायतुल्ला

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कुरैशी, निवासी जनपद-लखनऊ की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-1187/2025/1590(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार वाराणसी।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।